



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 144 / 2025

रानी कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन सुन्दरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- - वादीया

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत जाति अरोड़ा साकिन केसरीसिंहपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अविचल कुक्कड पुत्र रविन्द्र कुमार जाति अरोड़ा साकिन केसरीसिंहपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. आदित्य कुक्कड पुत्र रविन्द्र कुमार जाति अरोड़ा साकिन केसरीसिंहपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. आशारानी कुक्कड पत्नी श्यामलाल जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
5. साक्षी जग्गा पुत्री श्यामलाल जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
6. सोनिया मुंजाल पुत्री श्यामलाल जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
7. संगीता कुक्कड पत्नी देवेन्द्र कुमार कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
8. चिनार कुक्कड पुत्र देवेन्द्र कुमार कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
9. चिराग कुक्कड पुत्र देवेन्द्र कुमार कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन पुलिस लाईन चौराहा अमरसिंहपुरा बीकानेर।
10. उषा कुक्कड पत्नी सुरेन्द्र कुमार कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
11. विशाल कुक्कड पुत्र सुरेन्द्र कुमार कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
12. ओमप्रकाश पुत्र कुन्दनलाल जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
13. दीक्षा कुक्कड पत्नी विश्वास कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
14. मनन कुक्कड पुत्र विश्वास कुक्कड नाबालिग जरिये कुदरतीबली माता दीक्षा कुक्कड पत्नी विश्वास कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
15. हुनर कुक्कड पुत्री विश्वास कुक्कड नाबालिग जरिये कुदरतीबली माता दीक्षा कुक्कड पत्नी विश्वास कुक्कड जाति अरोड़ा साकिन करनीनगर लालगढ़ बीकानेर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक



11/2025

वादीया की ओर से श्री हीरालाल विरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 15 की ओर से श्री महेन्द्र सेन अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद से वर्णित कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 15 को खातेदार घोषित किया जाकर चिन्म प्रकार से विभाजन किया जाता है:-

क. वादीया रानी कौर :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एलजीडब्ल्यू	3/302	7, 8, 11 ता 14, 17 ता 24 25/1, 25/2	3.795 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 1 रविन्द्र कुमार-1.265 हैक्., प्रतिवादी सं. 2 अविचल कुक्कड-0.316 हैक्., प्रतिवादी सं. 3 आदित्य कुक्कड-0.3165 हैक्.:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एलजीडब्ल्यू	3/301	23/.1265 पूर्वी, 24	0.3795 हैक्.
	3/302	1 ता 4, 9, 10	1.518 हैक्.
कुल तादादी			1.8975 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 4 ता 6 को 1.423 हैक्. ब.हि.व., प्रतिवादी सं. 7 ता 9 को 0.474 हैक्. ब.हि. व, प्रतिवादी सं. 10-11 को 1.265 हैक्. ब.हि.व., प्रतिवादी सं. 12 को 1.8975 हैक्. प्रतिवादी सं. 13 ता 15 को 0.633 हैक्. ब.हि.व.:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
16 एलजीडब्ल्यू	3/301	1/1 ता 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 22, 23/.1265 पश्चिमी	5.6925 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक10/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा